भारत के राजपत्र), असाधारण, के भाग।।-, खंड-3, उप) खंड-i(में प्रकाशनार्थ (

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(विभागराजस्व)

अधिसूचना संख्या 17/2019- एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर, 2019

सा.का.नि........ (अ.)- एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या (विभागराजस्व) 2 7/2018- एकीकृत कर (दर), दिनांक 31 रदिसम्ब, 2018, जिसे सा .नि.का.1266(अ) , दिनांक रदिसम्ब 31, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असारधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खड-(i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,

(i) शब्द "स्वर्ण", जहां-जहां भी यह आया हों के स्थान पर शब्द, "स्वर्ण, चांदी या प्लेटिनम" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) प्रारंभिक पैराग्राफ में, शब्द और अंक, "शीर्षक 7108" के स्थान पर शब्द और अंक "अध्याय 71" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) स्पष्टीकरण में, उपवाक्य (घ) के स्थान पर निम्नलिखित उपवाक्य को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-
"(घ) "अध्याय" से अभिप्राय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट शीर्षक से है।";

2. यह अधिसूचना 01 अक्तूबर, 2019 से लागू होगी ।

[फाइल संख्या 354/131/2019-टीआरयू]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार